



## CAFE-2 वनियम और BS-VI चरण (II) के मानदंड

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन के प्रभावों को देखते हुए **कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता** (Corporate Average Fuel Efficiency-2) के नियमों और **BS-VI** के चरण (II) के मानकों को लागू करने की अवधि को अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया जाए।

- CAFE-2 तथा BS-VI के चरण (II) के मानदंडों को लागू करने के लिये क्रमशः वर्ष 2022 और अप्रैल 2023 की अवधितय की गई है।

### प्रमुख बडि

#### कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता वनियम:

- भारत सहित कई विकसित और विकासशील देशों में कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता वनियम लागू किये गए हैं।
- ये वाहनों की **ईंधन खपत या ईंधन दक्षता** में सुधार और **कार्बन डाइऑक्साइड (CO<sub>2</sub>)** उत्सर्जन को कम करते हैं। इस प्रकार ईंधन के लिये तेल पर निर्भरता कम होने के साथ ही प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में भी मदद मिलती है।
- कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता वनियम ऑटो निर्माताओं के लिये **बिक्री-मात्रा के भारित औसत** (Sales-Volume Weighted Average) को संदर्भित करता है। CAFE का विचार **इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle)** सहित अधिक ईंधन कुशल मॉडल का उत्पादन और बिक्री कर ईंधन दक्षता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निर्माताओं को सहयोग प्रदान करना है।

#### भारत में प्रमोचन:

- CAFE मानकों को पहली बार वर्ष 2017 में **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (Energy Conservation Act), 2001** के तहत **केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय (Union Ministry of Power)** द्वारा अधिसूचित किया गया था।
  - यह वनियमन वर्ष 2015 के ईंधन खपत मानकों के अनुसार है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वाहनों की ईंधन दक्षता को 35% तक बढ़ाना है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highway)** प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा वार्षिक ईंधन की खपत की नगिनी और रिपोर्टिंग करने के लिये ज़िम्मेदार एक नोडल एजेंसी है।
- इस वनियमन को दो चरणों में पेश किया गया था, जिसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को वर्ष 2022-23 तक 130 ग्राम/कमी. और वर्ष 2022-23 तक 113 ग्राम/कमी. करना है।

#### प्रयोज्यता:

- यह मानक पेट्रोल, डीज़ल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) के उपयोग वाले यात्री वाहनों के लिये लागू है।

### BS-VI चरण (II) मानदंड:

- भारत स्टेज उत्सर्जन मानक आंतरिक दहन और इंजन तथा स्पायर्क इग्निशन इंजन के उपकरण से उत्सर्जित वायु प्रदूषण को वनियमिति करने के मानक हैं।
- इन मानकों का उद्देश्य तीन क्षेत्रों (उत्सर्जन नियंत्रण, ईंधन दक्षता और इंजन डिज़ाइन) में सुधार करना है।
- केंद्र सरकार ने वाहन निर्माताओं के लिये **1 अप्रैल, 2020** से केवल BS-VI (BS6) वाहनों का निर्माण, बिक्री और पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है।
  - BS-VI को यूरो-VI मानदंडों के अनुरूप बनाया गया है।
- BS-VI उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार पेट्रोल वाहनों को नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO<sub>x</sub>) उत्सर्जन में 25%, डीज़ल इंजन वाहनों को हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड (HC and NO<sub>x</sub>) में 43% तथा उनके NO<sub>x</sub> के स्तर को 68% एवं पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को 82% तक कम करना होगा।
- ईंधन में **सल्फर** सामग्री का होना चिंता का एक प्रमुख कारण है। BS-VI ईंधन में सल्फर की मात्रा BS-IV ईंधन की तुलना में बहुत कम होती है। इसे

BS-IV के तहत निर्धारित मात्रा 50 mg/kg से BS-VI में 10 mg/kg तक घटाया जाता है।

- वर्ष 2023 के बाद से शुरू किये जाने वाले कुछ उपायों में नियामक अधिकारियों द्वारा इन-सर्विस अनुपालन, बाज़ार नगिरानी और स्वतः वाहन परीक्षण, निर्माताओं द्वारा वेबसाइटों पर उत्सर्जन डेटा का सार्वजनिक प्रकटीकरण आदि को शामिल किया गया है।

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/cafe-2-regulations-and-bs-vi-stage-ii-norms>

